अपील सूचना अधिकार संख्या 10/2019 (RCMS 2019/00030) श्री बृजमोहन पुत्र सूरत सिंह यादव , गांव व डाक खुईखेडा(152121) तहसील व जिला फाजिल्का (152123) बनाम उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.08.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी बृजमोहन स्वयं उपस्थित नही। अप्रार्थी उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि **अपीलार्थी ने** लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.2018 को प्रस्तुत करके सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं रजिस्टर्ड डाक द्वारा सत्यापित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री बृजमोहन ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.08.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर से निम्न सूचना चाही थी:

> मैने एक आर.टी.आई. आपके दफ्तर में भेजी थी। इस सम्बन्ध में आपके दफ्तर का पत्र नम्बर सू.अ./2018/1971 तिथि 20.04.2018 प्राप्त हुआ, कॉपी नथ्थी है। उसके साथ आप द्वारा attest किये हुए कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए जो कि गांव चक 1 पीपी डाकघर, घमूड़वाली में लगने वाले मोबाईल टावर से सम्बन्धित है। जो कम्पनी की तरफ से आपके दफ्तर में दिये है। (कॉपी नथ्थी है) में (i) List of document attached के नम्बर(ii) पर जो उस जगह का नक्शा दिया है की कॉपी दी जाये।
>
> 310 मोबाईल टावर द्वारा उक्त गांव में लगने वाले टावर के सम्बन्ध में नक्शा दिया है (Location Plan) उसकी कॉपी आर.टी. आई. एक्ट 2005 अनुसार attest करके रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजने की कृपा करे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी ने अपने पत्रांक सू.अ. / 2019 / 647 दिनांक 05.02.2019 से निम्नानुसार जवाब दिया है, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भिजवाई है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि प्रार्थी श्री बृजमोहन द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना का जवाब दिनांक 13.05.2018, 20.05.2018 व 02.08.2018 को इस कार्यालय के पत्रांक सू.अ. / 2018 / 962 दिनांक 14.08.2018 व पत्रांक सू.अ. / 2018 / 3742 दिनांक 18.06.2018 व पत्रांक सू.अ. / 2018 / 970 दिनांक 14.08.2018 के द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। प्रार्थी द्वारा उक्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही थी, जिसे इस कार्यालय के पत्रांक सू.अ. / 2018 / 970 दिनांक 14.08.2018 के द्वारा प्रमाणित प्रति हेतु निर्धारित प्रपत्र में नकल फीस जमा करवाकर नकल प्राप्त की जा सकती है, की सूचना प्रार्थी को भिजावा दी गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। **फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि** अपीलार्थी यदि रजिस्र्ड डाक से सूचनाएं प्राप्त करना चाहता है तो रजिस्टर्ड डाक की राशि अपीलार्थी से राजकोष में जमा करवाकर, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत **कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख में से यदि किसी निश्चित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति चाही गई हो तो नियमानुसार अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी जावे।**

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर